



के अलावा अन्य श्रेणियों के मामले भी सौंप दिया जाता है।

- परिणामस्वरूप इन विशेष न्यायालयों में मामलों के नपिटारे की दर धीमी हो जाती है।
- प्रति न्यायालय प्रतिवर्ष लगभग 165 POCSO मामलों के नपिटान के अनुमानति लक्ष्य की प्राप्ति में भी काफी कमी है, देश में 1,000 से अधिक FTSCs में से वर्तमान में प्रत्येक की औसतन वार्षिक तौर पर केवल 28 मामलों को नपिटान किया जा रहा है।

## A COMPARISON

State/UT	Total Cases	Cases disposed (cumulative)	Cases pending (cumulative)	Disposal rate (in percentage)
Delhi	5,418	1,049	4,369	19
Uttar Pradesh	1,24,778	44,988	79,790	36
Tamil Nadu	10,214	5,178	5,036	50
Bihar	23,546	7,533	16,013	32
Gujarat	14,772	8,245	6,527	55
Maharashtra	20,143	14,326	5,817	67
Jammu & Kashmir	566	126	440	22
Kerala	19,797	12,870	6,927	65
Mizoram	188	125	63	66

-Figures from inception of the scheme in 2019 till May 2023

-Data from an answer to a question in the Rajya Sabha, July 27, 2023

16

SPECIAL FAST-TRACK COURTS IN DELHI

11

E-POCSO COURTS (AMONG THE 16)



### ■ लंबे समय तक लंबितता:

- 31 जनवरी 2023 तक FTSCs में 2.43 लाख से अधिक POCSO मामले लंबित हैं।
  - अनुमानों से पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मेघालय जैसे राज्यों में बैकलॉग/लंबित मामलों के नपिटान में कई दशकों का समय लगेगा।
  - वभिन्न राज्यों में अनुमानति परीक्षण अवधि भिन्न होती है, यह 21 से 30 वर्ष तक की हो सकती है।

### ■ दोषसिद्धिदर संबंधी चुनौतियाँ:

- एक वर्ष के भीतर परीक्षण पूरा करने का लक्ष्य रखने के बावजूद शोधों से पता चलता है कि दोषसिद्धिदर काफी कम है।
  - वचिराधीन 2,68,038 मामलों में से केवल 8,909 में दोषसिद्धि की जा सकी है, इसे लेकर FTSC की प्रभावकारिता को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

### ■ सीमति कषेत्राधिकार:

- इन न्यायालयों की स्थापना एक विशेष कषेत्राधिकार के साथ की जाती है, जो संबंधित मामलों के नपिटान की उनकी क्षमता को सीमति कर सकती है। इससे न्याय वतिरण में देरी हो सकती है तथा कानूनों के कार्यान्वयन में स्थिरता की कमी हो सकती है।
  - एक आदर्श स्थिति में इन विशेष न्यायालयों में मामलों का नपिटान एक वर्ष के भीतर किया जाना आवश्यक है। हालाँकि **मई 2023 तक दिल्ली के FTSC में कुल 4,369 लंबित मामलों में से केवल 1,049 मामलों का ही नपिटान किया गया था**। यह मामलों के नपिटान संबंधी लक्ष्य के पूरा होने में वलिंबता को इंगति करता है।

### ■ न्यायाधीशों की रक्तिर्यि और प्रशक्तिषण का अभाव:

- न्यायाधीशों की रक्तिर्यि और प्रशक्तिषण का अभाव मामलों के प्रभावी नपिटान क्षमता को प्रभावति करता है।
  - वर्ष 2022 तक पूरे भारत में नचिली न्यायालयों में रक्तिर्यिदर 23% थी।
  - सामान्य न्यायालयों के नयिमति न्यायाधीशों को अकसर FTSC में कार्य करने के लयि प्रतनियुक्ति किया जाता है।
  - हालाँकि इन न्यायालयों को मामलों के शीघ्र और प्रभावी नपिटान के लयि विशेष प्रशक्तिषण वाले न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है।

### ■ कुछ अपराधों को अन्य अपराधों से अधिक प्राथमकिता दया जाना:

- भारत में विशेष न्यायालयों की स्थापना सामान्यतः सरकार की न्यायकि और कार्यकारी दोनों शाखाओं द्वारा लयि गए तदर्थ नरिणयों के आधार पर की जाती है।
  - इसका अर्थ है कि अपराधों की कुछ श्रेणियों के अन्य अपराधों की तुलना में तेजी से नपिटान के लयि मनमाने ढंग से प्राथमकिता दी जाती है।

## महिला एवं बाल दुर्व्यवहार को रोकने के लिये क्या पहलें हैं?

- [बाल दुर्व्यवहार रोकथाम और जाँच इकाई](#)
- [बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ](#)
- [कशोर न्याय \(बच्चों की देखभाल और संरक्षण\) अधिनियम, 2015](#)
- [बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम \(2006\)](#)
- [बाल शर्म निषेध एवं वनियमन अधिनियम, 2016](#)

## आगे की राह

- सुचारु और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिये FTSCs को कोर्ट रूम, सहायक कर्मचारी और आधुनिक तकनीक सहित पर्याप्त बुनियादी ढाँचा प्रदान किया जाना चाहिये।
- इन विशिष्ट न्यायालयों की स्थापना और रखरखाव के लिये अतिरिक्त धन आवंटित किया जाना चाहिये।
- नपिटान दर को बढ़ाने के लिये **FTSCs को सख्त मामला प्रबंधन, स्थगन के कारण होने वाली अनावश्यक देरी को कम** करने और साक्ष्य की समय पर प्रस्तुति सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- यह न्यायाधीशों और सहायक कर्मचारियों के लिये विशेष प्रशिक्षण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने तथा कार्यवाही की गति बढ़ाने में मदद कर सकता है।
- रक्तियों को तुरंत भरने के प्रयास किये जाने चाहिये और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले न्यायाधीशों को इन अदालतों में नियुक्त किया जाए।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**[?/?/?/?/?]:**

प्रश्न. हम देश में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के बढ़ते मामले देख रहे हैं। इसके खिलाफ मौजूदा कानूनी प्रावधानों के बावजूद ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस खतरे से निपटने के लिये कुछ नवीन उपाय सुझाइये। (2014)